

प्रेषण
दिनांक
24-11-17

पत्रांक:- 04/NULM-5/16.....²⁶⁷⁴...../न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

संयोजक,
बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक,
गाँधी मैदान, पटना।

पटना, दिनांक, ^{24/11/17}

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SEP घटक तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के Convergence के संबंध में।

प्रसंग- पत्रांक K-12015 (II)/2/2017-UPA-1EIS NO. 3027031 दिनांक 08.08.2017 तथा 04/NULM-05/16/07/ दिनांक 06.01.2017

महाशय,

उपर्युक्त प्रासांगिक विषय के संबंध में कहना है कि Housing एवं Urban Affairs मंत्रालय के पत्रांक- K-12015(II)/2/2017(UPA-1)/EFS No.3141886 दिनांक-24 अक्टूबर, 2017 में वर्णित प्रावधान के अनुसार DAY-NULM योजना के SEP घटक के लाभुकों का आवेदन, जो टास्कफोर्स द्वारा पारित कर नगर निकायों द्वारा वित्तपोषण हेतु बैंकों को अग्रसारित किये जाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ही बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया जाना है तथा SEP के लाभुकों को मुद्रा कार्ड भी दिया जाना है। भारत सरकार के वर्णित पत्र के संदर्भ में सभी बैंकों को SLBC के स्तर से दिशा-निर्देश दिया जाना आवश्यक है।

भारत सरकार से प्राप्त प्रासांगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में SLBC स्तर से सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया जाय।

अनु0-यथोक्त

विश्वामाजन,

^{23/11/2017}

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक: 04/NULM-05/16/.....²⁶⁷⁴...../न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक- ^{24/11/17}

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, Housing एवं Urban Affairs मंत्रालय (UPA Division) भारत सरकार, नई दिल्ली / सभी नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी / सभी बैंकों के आंचलिक प्रबंधक एवं सभी नगर मिशन प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

^{23/11/2017}
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।